दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि : 3 अप्रैल, 2024

नि.प्र.अ. 85/2020

निशा रंगरा ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री विनय गुप्ता, अधिवक्ता

बनाम

पी. एन. बी. मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री श्वेता सिंह परिहार, अधिवक्ता
(वीसी के माध्यम से)

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र धारी सिंह

आदेश

न्या.चंद्र धारी सिंह. (मौखिक)

1. अपीलकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सि.प्र.सं.") की धारा 96 के साथ आदेश XLI के तहत तत्काल अपील दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

> *"(i) वर्तमान अपील को स्वीकार करना और अनुमति देना।*
> *(ii) उपरोक्त वाद के संबंध में माननीय न्यायालय सुश्री रविंदर बेदी, विद्वान अ.जि.न्या.-04, पटियाला हाउस, नई दिल्ली से विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को तलब करने के लिए, जिसका*

शीर्षक सुश्री निशा रंगरा बनाम पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य है, जिसका सि.वा.सं. 5582/2016 है, जो दिनांक 02.09.2019 के विवादित निर्णय/डिक्री के माध्यम से तय किया गया है।

(iii) सुश्री रविंदर बेदी, विद्वान अ.जि.न्या.-04, पटियाला हाउस, नई दिल्ली की न्यायालय द्वारा सि.वा. संख्या 5582/2016 में पारित दिनांक 02.09.2019 को पारित आक्षेपित अंतिम निर्णय और डिक्री को अपास्त करने के लिए, वाद शीर्षकः सुश्री निशा रंगरा बनाम पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य और तदनुसार अपीलकर्ता/वादी को उसके मूल वाद दावे के समर्थन में साक्ष्य का हलफनामा पेश करने के लिए एक और अवसर देने के बाद उक्त विद्वान विचारण न्यायालय में उक्त वाद की कार्यवाही को सुनवाई के लिए पुनर्जीवित/बहाल करने और नए सिरे से निर्णय देने का निर्देश देने के लिए।

(iv) किसी अन्य और आगे के आदेश और निर्देश (ओं) को पारित करना, जिसे यह माननीय न्यायालय उसके पक्ष में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और उचित समझे।"

2. अपीलार्थी/निशा रंगरा जुलाई, 2008 में अपने नई दिल्ली कार्यालय में बिक्री प्रबंधक के रूप में प्रत्यर्थी/पी. एन. बी. मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शामिल हुईं। अपीलार्थी प्रत्यर्थी कम्पनी में कार्यरत रही।

3. 1 मई, 2015 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अपनी सेवाओं की समाप्ति से व्यथित होकर अपीलकर्ता/वादी ने प्रत्यर्थीयों /प्रतिवादियों के खिलाफ पटियाला हाउस, नई दिल्ली के विद्वान विचारण न्यायालय में सिविल वाद संख्या 5582/2016 के तहत सिविल वाद दायर

किया, जिसमें 1,50,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति और हर्जाना वसूलने की मांग की गई और अन्य बातों के साथ-साथ अपनी सेवा बहाली और यह घोषित करने की भी मांग की कि उनकी सेवा समाप्ति अवैध है।

4. उपर्युक्त वाद में, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को सम्मन देना जारी किया और तदनुसार, प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ और अपना लिखित बयान दायर किया। जिसके अनुसार अपीलकर्ता ने 7 अक्टूबर, 2016 को अपनी प्रतिकृति दाखिल की गई ।

5. इसके बाद इस मामले के दस्तावेजों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के साथ-साथ मुद्दों को तैयार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विदवान विचारण न्यायालय द्वारा 15 मार्च, 2018 को मुद्दे तैयार किए गयें।

6. इसके बाद, वादी के साक्ष्य के लिए वाद 9 अगस्त, 2018 को सूचीबद्ध किया गया, जिस दिन अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि चूंकि अपीलकर्ता यूनाइटेड किंगडम में रह रही है, इसलिए वह भारत आने में असमर्थ है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विभिन्न अन्य तिथियों पर भी स्थगन की मांग की गई और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसे विधिवत मंजूर कर लिया गया।

7. 2 सितंबर, 2019 के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त वाद को इस प्रभाव से खारिज वाद दिया कि अपीलकर्ता को अवसर दिए जाने के बावजूद, उसने अपनी दलीलों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया।

8. 2 सितंबर, 2019 के आक्षेपित निर्णय/अंतिम आदेश/डिक्री से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने तत्काल नियमित पहली अपील दायर की है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय अन्यायपूर्ण, अवैध और दमनकारी है और साथ ही अपीलकर्ता को अपूरणीय हानि और क्षति का सामना करना पड़ा है, जो कि किसी भी शर्त पर क्षतिपूर्ति योग्य नहीं है यदि आक्षेपित निर्णय को दरकिनार नहीं किया जाता है।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के सामने आने वाली कठिन, बाधित और परेशान करने वाली स्थिति पर विधिवत विचार करने की उपेक्षा की, जिसके कारण वह साक्ष्य देने के लिए भारत नहीं आ सकी।

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस बात को मान्यता देने में विफल रहा कि वीजा की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता साक्ष्य देने के उद्देश्य से भारत की यात्रा नहीं कर सकता था।

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह स्वीकार करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता के पास यू. के. में आय का कोई स्रोत नहीं

है और वित्तीय सहायता के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर होने के बावजूद वह पूरी तरह से तैयार थी और विद्वान विचारण न्यायालय के निर्देशानुसार 25,000/- रुपये का भुगतान 2 सितंबर, 2019 को करने के लिए तैयार थी। हालाँकि, अपीलकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किए जाने के कारण उसी का भुगतान नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप उसका वाद खारिज हो गया।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने 21 अगस्त, 2019 से 5 सितंबर, 2019 की अवधि के लिए विशेष रूप से सिविल मामले की कार्यवाही में उपस्थित होने और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भारत की यात्रा करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ पहले ही कर ली थीं। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने 2 सितंबर, 2019 को प्रस्तुत किए जाने वाले अपने साक्ष्य को अंतिम रूप दे दिया था और साक्ष्य की एक अग्रिम प्रति प्रत्यर्थीयों के विद्वान अधिवक्ता को भी दी गई थी।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह पहचानने में विफल रहा कि अपीलकर्ता की उपरोक्त प्रस्तुतियों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजी साक्ष्य 2 सितंबर, 2019 को ही विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विधिवत दायर किए गए थे। हालाँकि, विद्वान न्यायालय ने गलती से इसे खारिज कर दिया, जिससे कार्यवाही में महत्वपूर्ण साक्ष्य की उपेक्षा की गई।

15. उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तत्काल अपील की अनुमति दी जाए और मांगी गई राहत दी जाए।

16. *इसके विपरीत,* प्रत्यर्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कथनों का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की कार्यकाल की समाप्ति 1 मई, 2015 को बर्खास्तगी पत्र जारी करके उसके रोजगार अनुबंध और कंपनी की नीतियों के अनुसार की गई थी।

17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता के पास प्रत्यर्थीयों के साथ अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए विशेष रूप से उसके नियुक्ति पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ-साथ दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होने के आलोक में कोई निहित या अंतर्निहित अधिकार नहीं है ।

18. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता के प्रदर्शन में विभिन्न कमियों और लापरवाही के बावजूद, प्रत्यर्थी कंपनी ने 1 मई, 2015 को एक नोटिस जारी किया जिसमें अपीलकर्ता की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया और कंपनी की नीति के अनुसार उसके अंतिम बकाया का निपटान किया गया।

19. यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित निर्णय में कोई कमी या अवैधता नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता स्वयं वाद के लंबित रहने के दौरान विद्वान विचारण

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रही तथा अनिवार्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी विफल रही।

20. उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तत्काल अपील बिना किसी योग्यता के है और इसे खारिज किया जा सकता है।

21. मामले की सुनवाई विस्तार से हुई और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिए। इस न्यायालय ने भी रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया है और मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य, पक्षों द्वारा भरोसा किए गए न्यायिक निर्णयों और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विधिवत विचार किया है।

22. यह अपीलकर्ता का मामला है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की परेशान करने वाली परिस्थितियों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया, जिसके कारण वह भारत नहीं आ सकी और अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी।

23. प्रत्यर्थीयों ने अपने प्रतिद्वंदी दलील में कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को अपनी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने के लिए कई अवसर दिए। आगे यह भी दलील दी गई कि आक्षेपित निर्णय ने अपीलकर्ता के

साक्ष्य को बंद कर दिया और साथ ही इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

24. इसलिए, इस न्यायालय के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर सिविल मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता को कई अवसर दिए जाने के बावजूद, उसने अपनी दलीलों के समर्थन में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर दाखिल नहीं किया, इसलिए, वह किसी भी राहत की हकदार नहीं है, जैसा कि अनुरोध किया गया था।

25. अब यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करेगा और इसी का प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

> *"..वादी के परोक्षी अधिवक्ता ने एक और स्थगन की मांग की है। उनका कहना है कि वादीभारत आने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि वादी भारत आने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि वादी यूनाइटेड किंगडम में अपने ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार थी। उन्होंने कहा कि वादीको पीबीएस आश्रित की भागीदार/पत्नी के रूप में प्रवेश की मंजूरी दी गई थी। विद्वान् अधिवक्ता ने कहा कि परिस्थितियों के कारण वादी के लिए यह संभव नहीं है क्योंकि उसके पति और ससुराल वालों द्वारा हुए घरेलू हिंसा के कारण उसकी शादी हमेशा के लिए टूट गई है। इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज आज अहस्ताक्षरित हलफनामे के साथ दाखिल किए गए हैं। इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज आज अहस्ताक्षरित शपथ पत्र के साथ दाखिल किए जाते हैं।*

प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन का जोरदार विरोध किया जाता है, जिन्होंने मुझे पहले की कार्यवाही पत्रों द्वारा लिया है।

सुना गया ।

15.03.2018 को मुद्दों के निपटान के बाद, मामले को वादीके साक्ष्य के लिए पोस्ट किया गया था। तब से वादीकी ओर से किसी न किसी आधार पर स्थगन की मांग की जाती है। दिनांकित 02.05.2019 आदेश द्वारा वादी पर रुपये की लागत का बोझ डाला गया था। 25,000/- लागत का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में मैं किसी भी प्रशंसनीय कारण की अनुपस्थिति में साक्ष्य के लिए मामले को और स्थगित करना उचित नहीं समझता। वादीके साक्ष्य को आदेश द्वारा बंद कर दिया जाता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादीने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता भी प्रतिवादियों के साक्ष्य को बंद करने का अनुरोध करते हैं। प्रतिवादियों के साक्ष्य बंद कर दिए गये हैं।

वर्तमान वाद नुकसान की वसूली और एक लाख रुपये के मुआवजे का वाद है। प्रतिवादियों के खिलाफ वादी द्वारा दायर घोषणा के अलावा डेढ़ करोड़ रुपये, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना या कारण बताए बिना सेवाओं से हटा दिया गया था। वादीने आरोप लगाया कि उसे अवैध तरीके से 01.05.2015 दिनांकित बर्खास्तगी पत्र दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कई अनुस्मारक और अभ्यावेदन के बावजूद प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली । उसने उत्पीड़न, अपमान और यातना के लिए हर्जाने का दावा करने के अलावा 01.05.2015 दिनांकित बर्खास्तगी पत्र को अमान्य घोषित

करने की राहत मांगी। इस न्यायालय का मानना है कि अवसर दिए जाने के बावजूद वादीने अपनी दलीलों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है, वह उस राहत की हकदार नहीं है जिसके लिए उसने अनुरोध किया था। वादीस्पष्ट रूप से आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश करके उन्हें साबित करने में विफल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में वादीका वाद खारिज हो जाता है। तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।..."

26. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित छद्म अधिवक्ता ने इस आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय से स्थगन की मांग की कि अपीलकर्ता यूनाइटेड किंगडम से भारत आने में समर्थ नहीं है क्योंकि वह घरेलू हिंसा की शिकार थी और साथ ही उसे यूनाइटेड किंगडम में एक पत्नी के रूप में प्रवेश दिया गया था, इसलिए उसकी शादी टूटने के कारण, वह अपने पति और ससुराल वालों की सनक और इच्छा पर है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इसका जोरदार विरोध किया।

27. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 15 मार्च 2018 को मामला अपीलकर्ता के साक्ष्य हेतु रखा गया था और तब से अपीलकर्ता ने स्थगन की मांग की। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, विद्वान न्यायालय ने कहा कि वह मामले को फिर से स्थगित करना उचित नहीं समझता है और तदनुसार, अपीलकर्ता का साक्ष्य बंद कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने

विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दलील दी कि अपीलकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने के कारण उनके साक्ष्य भी बंद किए जा सकते हैं, और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी का साक्ष्य भी बंद कर दिया गया।

28. निर्णायक रूप से, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता को अपनी दलीलों के समर्थन में रिकॉर्ड पर सबूत पेश करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, हालाँकि, अपीलकर्ता अपनी दलीलों में दिए गए कथनों को साबित करने में विफल रही क्योंकि उसने इसके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। तदनुसार, अपीलकर्ता का साक्ष्य बंद कर दिया गया और चूंकि अपीलकर्ता द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी ने भी रिकॉर्ड पर कोई सबूत पेश नहीं किया।।

29. इसलिए, मामले में निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तदनुसार; विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलकर्ता के सिविल मामले को खारिज कर दिया।

30. आक्षेपित निर्णय पर निर्णय देने से पहले, यह न्यायालय इस तथ्य का पता लगाने के लिए विभिन्न दैनिक आदेश पत्रों का अध्ययन करेगा कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उसके अभिवचन के समर्थन में रिकॉर्ड साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर दिए थे।

31. विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश तिथि-वार नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"क. 9 मार्च, 2017:

"स्थगन की मांग इस आधार पर की गई कि पक्षकारों द्वारा प्रवेश-अस्वीकृति के लिए मूल दस्तावेज नहीं लाए गए हैं। अनुरोध पर, दस्तावेज़ों को स्वीकार-अस्वीकार करने और 11-4-2017 पर मुद्दों को तैयार करने के लिए मामला स्थगित कर दिया जाता है। पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने मूल दस्तावेज लाएं और दस्तावेजों के प्रवेश-अस्वीकृति के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करें

ख. 11 अप्रैल, 2017:

"प्रतिवादी के अधिवक्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी की ओर से प्रवेश-अस्वीकृति के लिए कोई मूल दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। दूसरी ओर वादीके वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वे प्रवेश-अस्वीकृति के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर रहे हैं। 11.07.2017 को मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया गया।"

ग . 11 जुलाई, 2017:

"विद्वान पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार 15.09.2017 को निर्धारित/आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया।"

घ. 15 सितंबर, 2017:

" विद्वान पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 01.12.2017 को निर्धारित/आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।"

ङ. *1 दिसंबर, 2017:*

विद्वान पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार 15.03.2018 को निर्धारित उद्देश्य / आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया।

च. *15 मार्च, 2018:*

"दलीलें पूरी हो चुकी हैं। पक्षकारों की दलीलों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए हैं:

1. क्या प्रतिवादी द्वारा दिनांक 01.05.2015 को बर्खास्तगी पत्र को जारी किया गया है

वादी अमान्य और कानून की दृष्टि से बुरा है और उसे शुरुआत से ही अमान्य घोषित करने की आवश्यकता है? (वादी पर साबित करने का भार है।)

2. क्या वादी का रोजगार कानूनी और वैध रूप से समाप्त किया गया था

प्रतिवादी द्वारा दिनांकित बर्खास्तगी पत्र 01.05.2015? (वादी पर साबित करने का भार है 1) 3. क्या वादी सेवा में विराम के बिना बहाली का हकदार है

प्रतिवादी कंपनी, सभी परिणामी लाभों के साथ, जिसमें मजदूरी, वृद्धि, पदोन्नति और सेवा में निरंतरता आदि शामिल हैं? (वादी पर साबित करने का भार है।)

4. क्या वाद वाद हेतुक के बिना है? (प्रतिवादी पर साबित करने का भार है-1)

5. क्या वाद विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत कानून द्वारा वर्जित है? प्रतिवादी पर साबित करने का भार है-1

6. क्या वाद किसी झूठे या गलत बयान और/या सामग्री पर आधारित है

*या तथ्यों आदि के दमन पर आधारित है? (प्रति*वादी पर साबित करने का भार है*-1)*

7. क्या यह वाद पक्षकारों के गलत संयोजन के कारण त्रुटिपूर्ण है? (प्रतिवादी पर साबित करने का भार है-1.)

8. राहत?

कोई अन्य मुद्दा नहीं उठा या उस पर दबाव नहीं डाला गया। वादी को 15 दिनों के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से गवाहों और साक्ष्यों की सूची दायर करने का निर्देश दिया जाता है और दूसरी तरफ अग्रिम प्रति भेजी जाती है।साक्ष्य संबंधी शपथ पत्र के लिए निविदा प्रस्तुत करें और दिनांक 09.08.2018 पर प्रतिपरीक्षण करें।"

छ. *9 अगस्त, 2018:*

""वादी के अधिवक्ता के अनुरोध पर, वादी को उसके साक्ष्य को प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाता है। वादी को पिछले आदेश का पालन करने और विपक्षी अधिवक्ता को हलफनामे की अग्रिम प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। वादी के अनुरोध पर, 10.12.2018 को वादी के साक्ष्य (पी.ई.) के लिए प्रस्तुत किया गया।"

वादी के अनुरोध पर, 10.12.2018 पर वादी के साक्ष्य हेतु रखा गया ।"

ज. *10 दिसंबर, 2018:*

""वादी के अधिवक्ता ने दलील दी है कि वादी देश से बाहर है और कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण न्यायालय में पेश होने में असमर्थ है। वह स्थगन की मांग कर रहा है। सुनवाई हुई। वादी को खुद की जांच करने का एक आखिरी मौका दिया जाता है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन का विरोध

किया है। वादी को 15.03.2018 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

वादी के साक्ष्य के लिए 02.05.2019 को प्रस्तुत किया गया।

झ. 2 मई, 2019:

"वादी के परोक्षी अधिवक्ता की ओर से फिर से स्थगन की मांग की गई, जिसमें कहा गया कि अभि.सा.1 परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है। स्थगन के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखाया गया। वादी के साक्ष्य हेतु मामला 15.03.2018 से लंबित है। हालांकि, अंतिम और आखिरी अवसर के रूप में वादी को 25000 रुपये (डीएसएलएसए को 15000 रुपये और नई दिल्ली बार एसोसिएशन लाइब्रेरी फंड को 10,000 रुपये) की लागत के अधीन संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। 02.09.2019 को संपूर्ण वादी के साक्ष्य हेतु मामले को फिर से सूचीबद्ध करें। गवाहों के हलफनामों की प्रतियां, यदि कोई हों, तो प्रति परिक्षण की सुविधा के लिए सुनवाई की अगली तिथि से एक महीने पहले दूसरे पक्ष को दी जानी चाहिए..."

32. विद्वान विचारण न्यायालय के विभिन्न दैनिक आदेशों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि निम्न विद्वान न्यायालय ने अपीलकर्ता को अपने अभिवचनों में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर प्रदान किए थे, हालाँकि, वह विद्वान न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही।

33. सि.प्र.सं. के तहत, यह अनिवार्य है कि दस्तावेज़ों को वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर वह भरोसा कर रहा है। सि.प्र.सं. का आदेश VII नियम 14 उसी से संबंधित है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"..14. दस्तावेज़ की निर्मिती जिस पर वादी का वाद दायर होता है या निर्भर करता है। —

(1) जहाँ कोई वादी किसी दस्तावेज़ पर वाद करता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति वाले दस्तावेज़ पर भरोसा करता है, तो वह ऐसे दस्तावेज़ों को एक सूची में दर्ज करेगा, और जब उसके द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तो उसे न्यायालय में पेश करेगा और साथ ही साथ दस्तावेज़ और उसकी एक प्रति, जो शिकायत के साथ दायर की जाएगी, उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वह जहां भी संभव हो, बताएगा कि यह किसके अधिकार या शक्ति में है।

(3) ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने के समय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा वाद में जोड़े जाने अथवा संलग्न किए जाने हेतु सूची में दर्ज किया जाना चाहिए, किन्तु उसे तदनुसार प्रस्तुत अथवा दर्ज नहीं किया जाता है, उसे न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा..."

34. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एक सिविल वाद में, जिन दस्तावेजों पर अभियोक्ता वाद करता है या जिन पर भरोसा करता है और जो उसके कब्जे में हैं, वह ऐसे दस्तावेजों की सूची बनाएगा और जब उसके द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तो उसे न्यायालय में पेश करेगा। इसके अलावा, उक्त दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी एक प्रति भी उसी समय दी जाएगी, जिसे शिकायत के साथ दाखिल किया जाएगा।

35. इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि अपीलकर्ता रिकॉर्ड के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था क्योंकि उपरोक्त चर्चा के अनुसार सि.प्र.सं. के तहत यह अनिवार्य है।

36. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता ने एक वर्ष से अधिक समय के वाद स्थगन की मांग की, जिससे सिविल मामले की सुनवाई बाधित हो गई। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को विभिन्न तिथियों पर छूट दी थी, जिसके बावजूद अपीलकर्ता साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था।

37. तदनुसार, चूंकि अपीलकर्ता द्वारा अपने अभिवचनों में प्रस्तुत किय गये अभिकथनों को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और इस तथ्य के आलोक में कि अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, प्रत्यर्थी ने भी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी का साक्ष्य भी बंद कर दिया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने वाद को सही ढंग से खारिज कर दिया क्योंकि निर्णय के लिए इस वाद में कुछ भी नहीं बचा था।

38. इस न्यायालय को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश -04, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा सि.वा.संख्या 5582/2016 शीर्षक *सुश्री निशा रंगरा बनाम पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य* में पारित दिनांक 2

सितंबर 2019 के आक्षेपित निर्णय में कोई कमी नहीं लगती, इसलिए आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

39. तदनुसार, अपील को लंबित आवेदनों सहित, यदि कोई हो, तो खारिज किया जाता है।

40. आदेश को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

न्या.चंद्र धारी सिंह

अप्रैल 3, 2024
जीएस/डीबी/आरवाईपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*